इन्दु देवी बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
प्रकरण संख्या 2024/65
निर्णय दिनांकः—07.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2024/65 दर्ज तिथिः—15.03.2024

1. इन्दुदेवी पत्नी मदरूपाराम
2. मेहाराम पुत्र मदरूपाराम
3. रामाराम पुत्र मदरूपाराम
4. गोमीदेवी पत्नी मेहाराम
5. चेनीदेवी पत्नी रामाराम
6. खेतू पत्नी रेखा
7. चनणाराम पुत्र पूराराम
8. चूना पुत्र पूराराम
9. तेजा पुत्र रेखा
10. तुलछा पुत्र मोडा
11. तिलोका पुत्र पूराराम
12. धूड़ा पुत्र रेखा
13. पना पुत्र रेखा
14. प्रहलादराम पुत्र पूराराम
15. पारू पत्नी दलाराम(फौत के कायम मुकाम प्रार्थी सं.17)
16. भूराराम पुत्र खूमाराम
17. मूला पुत्र दलाराम
18. वालाराम पुत्र पूराराम
19. वाली देवी पत्नी खुमाराम

जाति जाट निवासी सूरते की बेरी पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by: Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested

...स्थित अधिवक्ता
प्रार्थी: ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगण:—एक तरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—[illegible]56
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.03.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1203 व 1193 में से राष्ट्रीय राजमार्ग में दर्ज भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर सड़क की तरमीम खसरा संख्या 1193/1 व 1193/2 में से की जाकर उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज की जावे। तथा खेत खसरा संख्या 1202 व 1192 में से रास्ते की रूप में दर्ज भूमि प्रार्थीगण संख्या 06 से 19 के नाम दर्ज करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा संख्या 1192 में बरंग लाल की जगह तरमीम करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश फरमाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 337 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर परिशिष्ट 'ए' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया है।
3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड की तरमीम संलग्न परिशिष्ट बी अनुसार पाई गई है जिसमें खसरा संख्या 1203/1/0.1619 है0,1202/1/0.6799 है0जो कि नेशनल हाईवे के नाम तथा 1194/0.6637 है गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज है जबकि मौके पर सड़क उक्त खसरे में बनी हुई नहीं होकर वास्तविक स्थिति रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी	विप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 131 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका	1. विप्रार्थी संख्या 1 जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट दिनांक 11.02.2025 के अनुसार दुरस्त करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ए' के अनुसार खसरा संख्या 1202/1 व 1203/1 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा इसलिए परिशिष्ट 'ए' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	खातेदारों द्वारा सहमति जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ए' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने पर मौके एवं रेकर्ड में भिन्नता नहीं रहेगी का उल्लेख किया गया है।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ए' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सभी खातेदार सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में नेशनल हाईवे नाम दर्ज खसरा संख्या 1202/1 व 1203/1 **सर्वप्रथम** प्रार्थीगण के नहीं होने तथा भू–नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ए' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

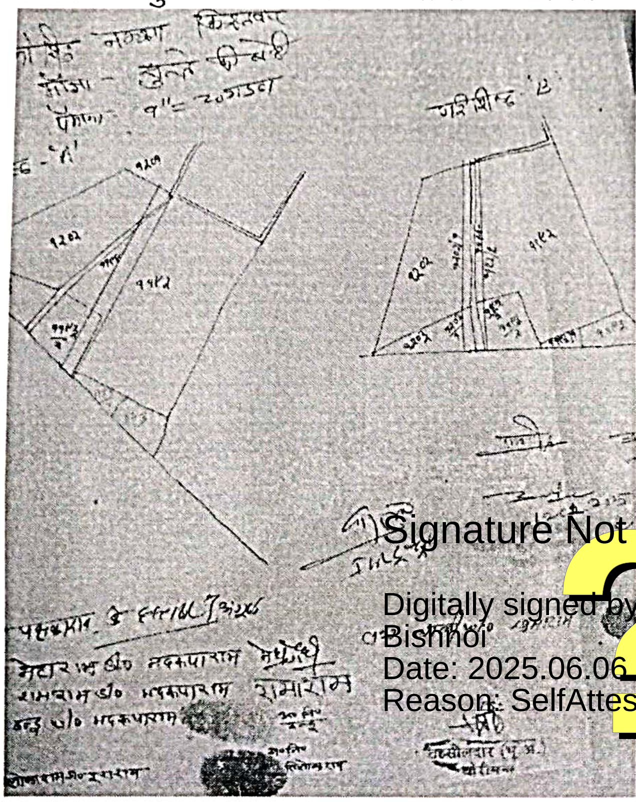

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

राजस्व ग्राम | तिथि

इन्दु देवी बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
प्रकरण संख्या 2024/65
निर्णय दिनांकः–07.03.2025

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ए' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा खसरा संख्या 1203/1/0.1619 है0,1202/1/0.6799 है0जो कि नेशनल हाईवे के नाम तथा 1194/0.6637 है गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज है को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके बदले परिशिष्ट 'ए' में वास्तविक सड़क जिसे लाल लाईन के रूप में दर्शित के मध्य स्थित खसरा संख्या 1202 ,1192 व 1193/2 की भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। *तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट'ए' तथा 'बी' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

7/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:01 IST
Reason: SelfAttested